



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 026538



विक्रय पत्र मूल्य अंकन :- 10,00,000/- रुपये 11

स्टाम्प शुल्क अंकन :- 1,00,000/- रुपये 11

विक्रीत भूमि - भूमिधरी क्षेत्रफल 0.0840 हैक्टेयर मध्ये खसरा नं 165 मि 0 खाता संख्या 00070 स्थित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर परगना, तहसील व जिला मेरठ है. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है और सगरत राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में अंकित है और अन्य प्रयोजन के लिये विक्रय की जा रही है. चूंकि भूमि डेवलपर द्वारा क्रय की जा रही है इसलिये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, मेरठ द्वारा जारी सर्किल रेट दिनांक 01-08-2008 के पेज संख्या 111 पर अंकित क्रमसंख्या 901 पर अंकित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर के लिये निर्धारित सर्किल रेट के अनुपालन में अन्य प्रयोजन का स्टाम्प अदा किया जा रहा है । विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग या जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है जो नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है जिसका अन्य प्रयोजन के लिये सर्किल रेट अंकन 1,20,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है, जिसकी किस्म जमीन सेवटा है जिसमें कोई बाग अथवा पेड़ नहीं है विक्रेता तथा क्रेता आदिवासी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, तथा विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया गया है ।



(चानू १/३ अति)



कमरा :- 2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 026539



विक्रय पत्र और से कालू राम गिल पुत्र श्री तिरछा राम निवासी 472, पटेल नगर, कैराना स्टैंड, शामली, मुजफ्फर नगर के है जोकि कुल विक्रीत भूमि 0.0840 हेक्टेयर स्थित खाता संख्या 00070 खसरा नं 165 मि 0 स्थित ग्राम नंगलातारी कासमपुर परगना, तहसील व जिला मेरठ का मैं एकमात्र स्वामी एवं विक्रयाधिकारी एवं भूमिधर हूँ और समस्त राजस्व अनिलेखों में मेरा नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित है।। उपरोक्त भूमि - भूमिधरी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उन्मुक्त एवं वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त तथा रहित है और मुझे पूर्ण स्वामी होने के नाते उपरोक्त भूमि - भूमिधरी को विक्रयपत्र आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष मेरे विक्रयाधिकारों में बाधक नहीं है। मैंने, उपरोक्त भूमि - भूमिधरी की जमानत पर कोई करजा या उधार किसी बैंक या सौसायटी या किसी वित्तीय संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं कर रखा है और नाहि उपरोक्त भूमि - भूमिधरी के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है अतः उपरोक्त विक्रीत भूमि-भूमिधरी को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि आदि सहित चाहे उसका वर्णन इस विक्रयपत्र में किया गया हो अथवा न किया गया हो स्थिर मरिष्ठक व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 10,08,000/- (दस लाख आठ हजार रुपये) कि आधे



(कालू राम गिल)



कनरा :- 3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



F 798806

जिसके अंकन 5,04,000/- (पाँच लाख चार हजार रुपये) के मूल्य के उपलब्ध में हस्ते मैसर्स
 एपेक्स प्रोपर्टी प्रा० लिमिटेड (ए कम्पनी इनकोरपोरेटेड अन्धर कम्पनीज एक्ट 1956, कम्पनी - (आई डी न०
 यू45400-यूपी2007-पीटीसी033157) रजिस्टर्ड आफिस 312, मेरठ गॉल , दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर
 अतुल गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी 39/16, शिवाजी रोड ,मेरठ को विक्रय कर दी है और बेच डाली और
 समस्त विक्रय मूल्य क्रेता महोदय से निम्न प्रकार प्राप्त करके उपरोक्त भूमि - भूमिधरी को अपने अधिकार
 स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता महोदय के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको
 व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया और अब मुझे विक्रेता का कोई सम्बन्ध किसी भी
 प्रकार का विक्रीत भूमि - भूमिधरी से शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा । वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ
 यह विक्रय विलेख पूर्णतया उचित , वैधानिक एवं सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है । स्थल पर अधिपत्य भूमि
 - भूमिधरी का क्रेता को दे दिया है क्रेता विक्रीत भूमि - भूमिधरी को अपने प्रयोग में लाने तथा उसको अपनी
 इच्छानुसार इस्तेमाल करने के अधिकारी रहेंगे और दाखिल खारिज कराकर कागजात माल में अपना नाम पूर्ण
 स्वामी के रूप में अंकित कर लेने के अधिकारी रहेंगे यदि कागजात माल में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में
 अगर मेरी कहीं भी अनुमति या दस्तखतों व सहमति वगैरा की आवश्यकता होगी तो उसमें मुझे कोई आपत्ति

(काहू राज डल)

कमरा :- 4

(4)

नहीं होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि - भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश क्रेता महोदय के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण अथवा भार विक्रीत भूमि - भूमिधरी पर पाया जायेगा और क्रेता महोदय को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड़ जायेगा या विक्रय पत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो मय क्षति व खर्चा बैनामा व बाजरी ब्याज व वाद व्यय सहित मुझ विक्रेता एवं मेरे उत्तराधिकारीगण की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वापस प्राप्त कर लें जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह विक्रयपत्र लिख दिया गया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

नीज:- क्रेता खसरा नम्बर 185 में पूर्व से ही सहखातेदार है और उपरोक्त भूमि भी खसरा संख्या 185 का भाग है अतः क्रेता उपरोक्त भूमि को क्रय करने के उपरान्त उपरोक्त भूमि को अपनी भूमि से मिला लेगा।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य :-

1- अंकन 10,08,000/- (दस लाख आठ हजार रुपये) नगद समक्ष जनाब सबरजिस्ट्रार महोदय प्राप्त किये।

गवाह :- 1

विनय कुमार S/O श्री कालूराज
2/149 झरझरपुरी, फज-प्रधर
फर्रुखनगर, मेरठ

(विक्रेता)

(कालू राज सिंह)

गवाह :- 2

Sam Joy
Sangeet Singhani & D.S.H. Hemshchand
R/O A-71 Sarnewah Lok, Meerut

(क्रेता)

लिखित दिनांक 31-07-2009 मसविदा श्री पंकज यादव दस्तावेज लेखक मेरठ।।

पंकज यादव

दस्तावेज लेखक
मेरठ

सम्पत्ति का फोटो

क्रेता का नाम व पता :- कालू राम गिल पुत्र श्री तिरखा राम निवासी 472, पटेल नगर, कैराना बस स्टैंड शामली जिला मु० नगर ॥

क्रेता का नाम व पता मैसर्स एपैक्स प्रोपमार्ट प्रा० लिमिटेड (ए कम्पनी इनकोरपोरेटेड अन्डर कम्पनीज एक्ट 1956, कम्पनी - (आई डी न० यू०४५४००यूपी२००७पीटीसी०३३१५७) रजिस्टर्ड आफिस 312, मेरठ मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर अतुल गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी 39/16, शिवाजी रोड मेरठ ॥

सम्पत्ति की स्थिति :- जोकि विक्रीत भूमि 0.0840 वर्गमीटर स्थित खसरा संख्या 165 मि० ग्राम नंगलाताशी कारागमपुर जिला मेरठ ॥



Mahesh Photo Studio
B-4, Metro Plaza
Delhi Road, Meerut

हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फोटो चित्र उसी सम्पत्ति का है जो इस लेखपत्र द्वारा विक्रीत की जा रही है।

(कालू राम गिल)
विक्रेता का हस्ताक्षर / अंगूठा



क्रेता का हस्ताक्षर / अंगूठा

R. J. Singh



आज दिनांक 31/07/2009 को
यही सं 1 जिल्द सं 2531
पृष्ठ सं 233 से 250 पर क्रमांक 4188
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।



रेश राज सिंह
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर
31/7/2009